मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार

1. <u>प्रस्तावना एवं उद्देश्यः–</u> हमारे संविधान में महिलाओं और पुरूषों को समान रूप से शिक्षा और आजीविका प्राप्त करने, स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने जाने, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने, आत्मरक्षा करने, आत्म सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया है। किंतु कई बार अपराधिक और असामाजिक तत्वों की हरकतों से महिलाओं की गरिमा और अस्मिता को आघात पहुचँता है। अनेक महिलाएँ इन तत्वों के कारण शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो जाती है, उन्हें अपमान जनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। आसपास के समाज के लोग जो उनके बचाव में तुरंत सहायता के लिए आगे आते है उन्हे कोई प्रोत्साहन ,राहत व सहयोग नही मिलता, उनके ऐसे कार्य अधिकतर अनदेखे, अनजाने व अनचीन्हें रह जाते है।

इसलिये राज्य सरकार की ऐसी सोच है कि अपराधिक और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध साहस का प्रदर्शन कर अपने आप का या अन्य किसी का बचाव करने वाली महिला या इन तत्वों से महिलाओं का बचाव करने वाले पुरूषों को भी सम्मानित किया जाये ताकि अन्य महिलाओं को भी अपनी अस्मिता और आत्मरक्षा के लिए समुचित कदम उठाने की प्रेरणा मिल सके और ऐसे तत्वों के हौसले पस्त हो सकें। इसी सोच को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रदेश सरकार ने निम्न पुरस्कार योजना शुरू करने का निश्चिय किया है।इस योजना का उद्देश्य असामाजिक तत्वों की महिला विरोधी गतिविधियो पर अंकुश लगाना,महिलाओं मे साहस का संचार करना, महिला/पुरूष द्वारा किये गये कार्यो की सराहना करना और समाज के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है ताकि अन्य महिलाओं /पुरूषों को इससे प्रेरणा मिल सके।

2. <u>शीर्षकः–</u> यह नियम 'मुख्यमंत्री' नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार नियम 2012–13 कहलाएंगें और म.प्र. राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होंगे।

3. <u>पात्रताः–</u>घटना जिसमें किसी महिला द्वारा अपराधिक या असामाजिक तत्वों के विरूद्ध साहस का प्रदर्शन कर अपने आप का या अन्य किसी महिला का बचाव एवं ऐसे पुरूष जिन्होने इन तत्वों से महिलाओं के बचाव हेतु अवर्णनीय साहसिक कार्य किया हो। घटना प्रदेश में ही 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के बीच घटित हुई हो।

4. <u>विस्तार क्षेत्र</u>.-यह सम्मान व्यक्ति (महिला/पुरुष) द्वारा मध्य प्रदेश में व्यक्तिक/किसी भी समुदाय के लिए किए गए साहसिक कार्यो हेतु दिया जायेगा।

5. <u>सम्मान का स्वरूपः-</u> यह योजना "मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार योजना" कहलायेगी । अपराधिक या असामाजिक तत्वो के विरुद्ध साहस का प्रदर्शन कर अपने आप का या किसी अन्य का बचाव करने वाली महिलाओं या महिलाओं का ऐसे तत्वों से बचाव करने वाले पुरुषों को "मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार" से सम्मानित किया जायेगा। यह पुरस्कार प्रदेश स्तर पर एक लाख व जिला स्तर पर पचास हजार रूपये का होगा। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष राज्य स्तर पर प्रदेश की किन्ही दो चयनित महिला और दो पुरुष को तथा जिला स्तर पर चयनित एक महिला व एक पुरुष को सम्मानित किया जायेगा।

6. <u>चयन समिति का गठनः-</u> प्रत्येक वर्ष पुरस्कारो के लिए चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया जायेगाः-

6.1 <u>राज्य स्तर परः-</u> विभागीय मंत्री के आदेश से दो समाज सेवी महिलाओं एवं तीन शासकीय सदस्यों को शामिल कर चयन समिति का गठन किया जावेगा।

6.2 <u>जिला स्तर परः-</u> जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से दो समाज सेवी महिलाओं एवं तीन शासकीय सदस्यों को शामिल कर चयन समिति का गठन किया जायेगा।

7. <u>चयन समिति की शक्तियाँः-</u>

- राज्य स्तर पर चयन समिति द्वारा किये गए चयन पर राज्य शासन एवं जिला स्तर पर किए गए चयन पर प्रभारी मंत्री विचार करेंगे।
- पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।
- प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए राज्य स्तर पर दो महिला एवं दो पुरुष का तथा जिला स्तर पर एक महिला एवं एक पुरुष का चयन किया जायेगा।
- चयन समिति की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी उसके द्वारा लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुये विचार विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नही रखा जायेगा।
- चयन समिति के माननीय अशासकीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिये आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड ए के समकक्ष रेल यात्रा की श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

8. चयन की प्रक्रियाः–पुरस्कारों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों (महिलाओं /पुरुषों) के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगीः–

8.1 जिस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना उस वर्ष राज्य एवं जिला स्तर की प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक/आयुक्त संचालनालय महिला सशक्तिकरण महिला एवं बाल विकास की ओर से प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर एवं दिसम्बर में प्रमुख प्रादेशिक समाचार पत्रों /इलेक्ट्रानिक मीडिया के राज्य शासन की ओर से विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। प्रविष्टियां 10 जनवरी तक प्राप्त की जाएंगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नही की जाएंगी परन्तु विज्ञप्ति जाहिर करने आदि के समय में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा।

8.2 प्रविष्टि उपरोक्तानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्ति से सुपरिचित व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए संचालक/आयुक्त, महिला सशक्तिकरण की ओर एवं जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए कलेक्टर को निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत कर सकेंगे

8.2.1 साहस पूर्ण कृत्य करने वाली महिला अथवा पुरुष का पूर्ण परिचय

8.2.2 संबंधित घटना की पूर्ण विवरण।

8.2.3 प्रमाण स्वरूप अखबार की कतरन /छायाचित्र/एफ.आई.आर हुई हो तो उसकी प्रति।

8.2.4 यदि अन्य कोई साहसिक कार्य किया गया हो तो उसका विवरण।

8.2.5 चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में संबंधित महिला/पुरुष की सहमति।

8.3 चयन के लिए योजना में निर्दिष्ट मापदंडों के अलावा कोई शर्तें लागू नही होगीं।

8.3.1 एक बार प्रस्तुत प्रविष्टियां एक बार के लिए विचारणीय होगीं।

3.3.2 राज्य स्तरीय अथवा जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए अलग–अलग प्रविष्टि भेजनी होगी। जिस पर स्पष्ट तौर पर लिखा जाना होगा "राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए" अथवा "जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए"।

8.4 प्रविष्टि में अन्तर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्‌वर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नही किया जायेगा।

8.5 प्रविष्टि में दिए गए तथ्यों /निष्कर्षो/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रस्तुतकर्ता का रहेगा, इस संबंध में राज्य शासन / जिला प्रशासन को यह अधिकार होगा कि जहाँ वह आवश्यक समझें अपने स्त्रोतों से दिए गए तथ्यों / निष्कर्षो/प्रमाणों की पुष्टी कर सकें।

8.6 निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों की प्राप्ति से एक सप्ताह की अवधि में संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीकृत किया जायेगा।